11

बच्चों की आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश (आर.टी.ई. 2009) एक परिचय

सरला वर्मा*

हमारे भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। ऐसे बच्चों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जैसे — 'जहाँ किसी बच्चे को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विदित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।' इसके लिए समुचित सरकारों द्वारा विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। प्रस्तुत लेख में बच्चों की आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश के लिए किए गए प्रयासों जैसे विशेष, प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में बताया गया है।

किसी भी देश का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए यह कहा भी गया है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की वह आंतरिक ऊर्जा है जिसके सहारे वह विकास के पथ पर अग्रसर होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ। सरकार द्वारा कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए गये तथा किये जा रहे हैं, जिनमें सर्वशिक्षा अभियान प्रमुख है, जिसके अंतर्गत मिड-डे-मील, छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, शिक्षकों की नियुक्ति आदि शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालय उपलब्ध कराना, उन्हें विद्यालय में रोके रखना एवं अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कराना आवश्यक है। यहाँ प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य बच्चों में आधारभूत कौशलों एवं योग्यताओं का विकास करना ही नहीं, बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी है।

इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह ऐतिहासिक विधान 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व को रेखांकित करता है, जिसमें 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा' की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता ही है साथ ही यह कानून बच्चों को खेल-खेल में रोचक विधियों से सिखाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भय, तनाव से मुक्त शिक्षा की माँग भी करता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून लागू होने से नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ, जिसे अधिनियम के रूप में संसद में 27 अगस्त 2009 में पारित, 16 फ़रवरी 2010 में अधिसूचित एवं 1 अप्रैल 2010 में प्रभावी रूप से लागू किया गया।

इस अधिनियम में लिखा गया है कि 'छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।' नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 4 में उल्लेखित है कि 'जहाँ, छह वर्ष से अधिक आयु के बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु जहाँ किसी बच्चे को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बच्चों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। परंतु प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क शिक्षा का अधिकारी होगा।'

- **विशेष प्रशिक्षण** – (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात्—
- विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा।
- उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा।
- उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा।
- उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे

शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षिणक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

इस तरह केंद्र एवं राज्य सरकारें ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। ये बच्चे सामान्यत: सामान्य तथा कामकाजी बच्चे, प्रवासियों के बच्चे, मजदूर परिवारों के बच्चे, सड़क पर काम करने वाले बच्चे, भीख माँगने वाले बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे आदि होते हैं जो कभी विद्यालय नहीं गए या जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी होती है। इन्हें इनके आस-पास के विद्यालयों में उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। बच्चे जिन कक्षाओं का अध्ययन नहीं कर पाये हैं इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके पश्चात् इनको मुख्यधारा से जोड़ दिया जाता है।

शैक्षिक संगठनों की भूमिका

वे बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते या किसी कारणवश विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं, उन्हें विद्यालय की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ कई शैक्षिक संगठन जैसे — राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय (NCPCR), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) एवं गैर सरकारी संगठन (NGOs) आदि भी प्रयासरत हैं।

इन बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में एक समीक्षा सहविवेचना परामर्श का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों को इन बच्चों के लिए एक साथ तालमेल करने की तरफ प्रोत्साहित करना था क्योंकि तभी प्रवासी बच्चों का विकास हो पाएगा तथा सभी बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना था। बच्चे अलग-अलग परेशानियों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। जिनमें से प्रमुख कारण गरीबी है, जिसकी वजह से वह अपने अभिभावकों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो जाते हैं। इस बैठक में जो मुख्य सुझाव/सिफ़ारिशें उभर कर आए वे निम्न प्रकार से हैं —

- "Out of School" बच्चों के जो आँकड़े राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए उनमें समरूपता का अभाव था। अर्थात् कुछ राज्यों में 'यू-डाइस' डाटा का उपयोग किया, तो कुछ ने Village Education Register से आँकड़ों को लिया है। अत: समरूपता होना जरूरी है।
- "Out of School" बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009 बना है। इसकी सही समझ शिक्षकों एवं अभिभावकों को नहीं है। अत: शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- जिन बच्चों को विद्यालय से जोड़ दिया गया है, अब उनमें गुणवत्ता का विकास करने के लिए प्रयासरत होना होगा।
- स्कूल प्रबंधन समिति सदस्यों को भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009 की जानकारी होनी चाहिए।

एन.सी.ई.आर.टी. ने भी इन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता

जताई। इस हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सेतु पाठ्यक्रम (Bridge Course) का निर्माण किया जा रहा है जिससे मुख्यधारा से जोड़ने पर बच्चे अपनी समझ विकसित कर सकें।

विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की भूमिका

विशेष प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना विद्यालय या विद्यालय से बाहर की जाती है जहाँ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों द्वारा आयु अनुसार प्रतिशत बच्चों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों को विशेष प्रशिक्षण किस स्तर से दिया जायेगा, इसका निर्धारण दक्षता जाँच से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता है। विशेष प्रशिक्षण केंद्र में बच्चे विभिन्न आयु वर्ग के साथ-साथ विभिन्न योग्यता स्तर के होंगे। इसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है—

अध्यापकों की भूमिका

विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के अध्यापकों की इन बच्चों को इनकी आयु के अनुसार कक्षा में अध्ययन करवाना और मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका होती है इस हेतु इनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अध्यापकों द्वारा बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने, उनके साथ घुल-मिलकर उनकी व्यक्तिगत और सीखने संबंधी कठिनाइयों का समाधान करने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनकी अंतर्निहित क्षमता उभरने लगती है और वे सीखने हेतु अग्रसर हो जाते हैं। शिक्षकों को उन्हें अध्यापन करवाते समय तथ्यों को वातावरण से जोड़कर समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और ज्ञान का सृजन होता है। इससे बच्चों में समूह कार्य करने का विकास होता है और कक्षाओं में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न क्रियाकलाप व गतिविधियों द्वारा रोचक बनाकर सुगमता के साथ बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है।

आयु अनुसार प्रवेशित बच्चों हेतु अनुदेशीय योजना

क्र. सं.	आयु	विशेष प्रशिक्षण की अवधि (महीनों में)	विशेष प्रशिक्षण के स्तर	कक्षा जिसमें बच्चों ने आयु अनुसार प्रवेश लिया
1.	7	3	स्तर I	कक्षा 2
2.	8	6	स्तर II	कक्षा 3
3.	9			कक्षा 4
4.	10			कक्षा 5
5.	11	9	स्तर III	कक्षा 6
6.	12			कक्षा 7
7.	13			कक्षा 8

नोट–यह सारणी उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने विद्यालय में पहली बार प्रवेश लिया है, विशेष प्रशिक्षण की अवधि बच्चों के सीखने के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकती है।

विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के अध्यापकों को इन बच्चों को धैर्यपूर्वक अध्यापन करवाने के साथ समय-समय पर उनके माता-पिता से संपर्क कर उनकी प्रगति की जानकारी देनी चाहिए, जिससे वे बच्चों की उपलब्धि से अवगत हो सकें। बच्चे प्रेरित होंगे व उनमें शिक्षा के प्रति रुचि जाग्रत होगी। इस तरह शिक्षक इन नन्हे बच्चों के सीखने में मार्गदर्शक तथा स्नेहिल साथी बनें। उनसे आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें इस तरह सिखाएँ कि उनकी अंतनिहित क्षमताएँ उभर कर सामने आए, उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनमें पहले से ही निहित सीखने की ललक और भी प्रबल हो।

स्थानीय समुदाय की भूमिका

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल बच्चों का विद्यालय आना ही परिपूर्ण नहीं, बल्कि उनके अभिभावक, पंचायत एवं आस-पास के समुदायों का भाग लेना भी ज़रूरी है। जिसमें बच्चे शिक्षा के लिए अभिप्रेरित हो एवं अध्यापकों द्वारा भी समय-समय पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराया जा सके। जब अभिभावक, पंचायत एवं आस-पास के समुदाय सभी मिलकर गुणात्मक परिवर्तन लाने के इस दायित्व का निर्वहन करेंगे, तब ही हम शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षा देने के लक्ष्य को हासिल कर पाएँगे।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

भारत का राजपत्र. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार — 2009. भारत सरकार.

मंडल, पी. 2015. *स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ़ आउट ऑफ़ स्कूल चिल्ड्रन एडमिटिड इन एज़ एप्रोप्रिएट क्लासेज़ अंडर आर.टी.ई. एक्ट 2009 — गाइडलाईंस*, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

——. 2015. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश हेतु — शिक्षक संदर्शिका*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

शर्मा, संतोष. 2014. *व्हाट इज़ आर.टी.ई.* एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.